

07 अप्रैल 2024 : समाचार विश्लेषण**A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:**

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:**शासन:**

- सीएए नियम दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं: सर्वोच्च न्यायालय में दलीलें

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

- कच्चाथीवू समझौते पर प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय:

- महिलाओं के रोजगार पर क्या दृष्टिकोण है?

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:**परिस्थिकी एवं पर्यावरण:**

- राज्य ग्रीन क्रेडिट के लिए हजारों हेक्टेयर 'अपघटित' वन भूमि की पेशकश करते हैं

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

- अमेरिका के 6 राज्यों में डेयरी गायों में इन्फ्लुएंजा A H5N1 पाया गया

अर्थव्यवस्था:

1. क्या नए सौर ऊर्जा नियमों से उत्पादन बढ़ेगा?

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

F. प्रीलिम्स तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सीएए नियम दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं: सर्वोच्च न्यायालय में दलीलें भारतीय राजनीति एवं शासन:

विषय : भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान में संशोधन

मुख्य परीक्षा : सीएए के साथ चुनौतियाँ

प्रसंग: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और इसके साथ जुड़े नियम नागरिकता और भारतीय संविधान में निहित सिद्धांतों पर उनके प्रभाव के कारण जांच के दायरे में आ गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता मानदंडों और संवैधानिक प्रावधानों के संभावित उल्लंघन, विशेष रूप से दोहरी नागरिकता और धार्मिक आधार पर भेदभाव से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।

समस्याएँ:

- **दोहरी नागरिकता:** सीएए नियम आवेदक के मूल देश की नागरिकता के प्रभावी त्याग को अनिवार्य नहीं करते हैं, जिससे दोहरी नागरिकता की संभावना पैदा होती है।

- नागरिकता अधिनियम और संविधान का उल्लंघन: याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि दोहरी नागरिकता सीधे तौर पर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 और संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन है, जो स्पष्ट रूप से दोहरी नागरिकता के अधिग्रहण पर रोक लगाती है।
- धार्मिक उत्पीड़न की धारणा: कुछ उत्पीड़ित समूहों और समुदायों को बाहर करने के लिए सीएए की आलोचना की जाती है, जिससे अधिनियम में निहित धार्मिक उत्पीड़न की धारणा के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

महत्व:

- कानूनी निहितार्थ: नागरिकता कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के महत्वपूर्ण कानूनी प्रभाव हैं, जो देश के भीतर व्यक्तियों के अधिकारों और स्थिति को आकार देते हैं।
- मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: सीएए के लाभों से कुछ शरणार्थी समूहों को बाहर करना मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है, विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता और उत्पीड़न से सुरक्षा के संबंध में।
- संवैधानिक अखंडता: यह मामला कानूनों के निर्माण और कार्यान्वयन में समानता, गैर-भेदभाव और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

समाधान:

- नियमों का स्पष्टीकरण: आवेदक के मूल देश की नागरिकता के प्रभावी त्याग को स्पष्ट रूप से आवश्यक करने के लिए सीएए नियमों में संशोधन करें, जिससे दोहरी नागरिकता की संभावना को रोका जा सके।
- समावेशी शरणार्थी नीति: धर्म या अन्य मनमाने मानदंडों के आधार पर भेदभाव के बिना सभी सत्ताएं गए समूहों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए सीएए और उसके नियमों को संशोधित करें।
- संवैधानिक सिद्धांतों का अनुपालन: सुनिश्चित करें कि सीएए सहित सभी कानून, भारतीय संविधान में निहित मौलिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिसमें कानून के समक्ष समानता और गैर-भेदभाव शामिल है।

सारांश: सीएए नियमों की चुनौतियां मौजूदा नागरिकता कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के साथ उनकी अनुकूलता की गहन जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करना भारत के कानूनी ढांचे की अखंडता को बनाए रखने और सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, चाहे उनकी धार्मिक या सामाजिक पहचान कुछ भी हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

कच्चाथीवृ समझौते पर प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं?

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय : भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते

प्रारंभिक परीक्षा: कच्चाथीवृ

मुख्य परीक्षा: भारत-श्रीलंका संबंध

प्रसंग: कच्चाथीवु संधि, कच्चाथीवु द्वीप के स्वामित्व और उपयोग के संबंध में भारत और श्रीलंका के बीच समझौता, हाल ही में जांच और पूछताछ के अधीन हैं। इससे विवाद खड़ा हो गया है और क्षेत्रीय संप्रभुता, राजनीतिक संबंधों और क्षेत्र में मछुआरों के अधिकारों के संबंध में प्रासंगिक सवाल खड़े हो गए हैं।

विवाद को जन्म देना:

- कांग्रेस सरकार द्वारा कच्चाथीवु द्वीप के साथ कथित कुप्रबंधन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से विवाद खड़ा हो गया।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 1974 और 1976 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों में भारतीय मछुआरों के अधिकारों के प्रति कथित उदासीनता को उजागर करते हुए इन भावनाओं को दोहराया।
- द्वीप का स्वामित्व:
- कच्चाथीवु, पाक जलडमरुमध्य में एक निर्जन द्वीप, मद्रास और सीलोन की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकारों के बीच क्षेत्रीय विवादों का विषय था।
- इस मुद्दे को 1974 और 1976 में भारत और श्रीलंका द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से हल किया गया था, जिसमें द्वीप पर श्रीलंका के स्वामित्व की पुष्टि की गई थी।
- मुद्दे का निपटारा:
- समझौतों में दोनों देशों के बीच समुद्री सीमाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को रेखांकित किया गया, जिससे संबंधित क्षेत्रों पर संप्रभु अधिकार प्रदान किए गए।
- भारतीय मछुआरों को सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए कच्चाथीवु तक सीमित पहुंच की अनुमति थी, लेकिन मछली पकड़ने की गतिविधियाँ प्रतिबंधित थीं।

भारत का लाभ:

- भू-राजनीतिक बदलावों के बीच श्रीलंका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए इन समझौतों को भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया।
- भारत ने वेज बैंक पर संप्रभु अधिकार प्राप्त किया, जिससे इसकी समुद्री संसाधन क्षमता में वृद्धि हुई।
- द्विपक्षीय समझौतों पर दोबारा गौर करना:
- मछुआरों के मुद्दों के समाधान के लिए पिछले समझौतों पर पुनः विचार करने के सुझाव को संदेह के साथ लिया गया है, क्योंकि इससे राजनीतिक विश्वसनीयता कमज़ोर हो सकती है और श्रीलंका के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है।

भारत और तमिलनाडु में प्रतिक्रिया:

- कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विदेश नीति में निरंतरता की आवश्यकता पर बल देते हुए सरकार के रुख की आलोचना की।
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कच्चाथीवु मुद्दे को संबोधित करने में पीएम मोदी के कार्यकाल की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया।
- श्रीलंका में प्रतिक्रिया:
- श्रीलंकाई अधिकारियों ने अपने क्षेत्रीय जल में भारतीय हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त करते हुए, सुलझे हुए मामलों पर फिर से चर्चा शुरू करने के आह्वान को खारिज कर दिया।
- श्रीलंकाई मछुआरों ने मत्स्य संबंधी विवादों को हल करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालते हुए भारतीय बयानों पर आशंका व्यक्त की।

समाधान:

- राजनायिक जुड़ाव: द्विविधीय समझौतों का सम्मान करते हुए मछुआरों की चिंताओं को दूर करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच रचनात्मक वार्ता को बढ़ावा देना।
- सतत मत्स्य प्रबंधन: मछली पकड़ने की प्रथाओं को विनियमित करने, स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के उपायों को लागू करें।
- क्षेत्रीय सहयोग: आम चुनौतियों से निपटने और समुद्री सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाना।

सारांश: कच्चाथीवू समझौते के आसपास की बहस क्षेत्र में क्षेत्रीय संप्रभुता, राजनायिक संबंधों और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के व्यापक मुद्दों को दर्शाती है। मछुआरों के संघर्षों को हल करने के लिए समुद्री क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण, कानूनी ढांचे, राजनायिक व्यस्तताओं और सामुदायिक हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

महिलाओं के रोजगार पर क्या दृष्टिकोण है?

सामाजिक न्याय:

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे

मुख्य परीक्षा: महिलाओं के रोजगार में चुनौतियाँ

प्रसंग: भारत रोजगार रिपोर्ट, 2024, प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डालती है, लेकिन विशेष रूप से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में लगातार चुनौतियों को भी रेखांकित करती है। रिपोर्ट कम महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करती है और महिलाओं की नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सिफारिशों पेश करती है।

प्रमुख श्रम बाजार संकेतक:

- भारत रोजगार रिपोर्ट, 2024, हाल के वर्षों में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कार्यबल भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर), और बेरोजगारी दर (यूआर) में सुधार को नोट करती है, हालांकि आर्थिक संकट के दौरान अपवादों के साथ, जिसमें सीओवीआईडी -19 महामारी भी शामिल है।
- महिलाओं की कम भागीदारी:
- महिला एलएफपीआर पुरुष समकक्षों की तुलना में काफी कम है, कुल श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल एक अंश है।
- मामूली सुधारों के बावजूद, महिलाओं के लिए रोजगार की स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार में वृद्धि हुई है।

कम भागीदारी में योगदान देने वाले कारक:

- महिलाओं की भागीदारी में बाधाओं में सीमित नौकरी के अवसर, देखभाल की जिम्मेदारियाँ, कम वेतन, पितृसत्तात्मक मानदंड और सुरक्षा चिंताएँ शामिल हैं।
- सामाजिक मानदंड महिलाओं की गतिशीलता को प्रतिबंधित करते हैं और उन्हें प्राथमिक देखभालकर्ता बनाते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है, जिससे महिलाओं की उपलब्ध नौकरी के अवसरों तक पहुंच सीमित हो जाती है।

अनुसंधान से अंतर्दृष्टि:

- नोबेल पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन का शोध पारिवारिक जिम्मेदारियों, शिक्षा, तकनीकी नवाचारों, कानूनों और सामाजिक मानदंडों सहित महिला श्रम आपूर्ति और मांग पर विभिन्न कारकों के प्रभाव पर जोर देता है।
- महिलाओं की पसंद अक्सर शादी, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों और सामाजिक अपेक्षाओं से बाधित होती है, जिससे श्रम बल में उनकी भागीदारी में बाधा आती है।

परिवर्तन के लिए सिफारिशें:

- महिलाओं की नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए श्रम बाजार की मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- श्रम-गहन क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाली नीतियां, सुरक्षा और परिवहन में सार्वजनिक निवेश, और किफायती बाल देखभाल और बुजुर्ग देखभाल सुविधाएं कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बना सकती हैं।
- लिंग-समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना आवश्यक है जो महिलाओं को काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए सशक्त बनाता है।
- महिला रोजगार बढ़ाने का महत्व:
- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है बल्कि आर्थिक विकास और गरीबी में कमी में भी योगदान मिलता है।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कई गुना प्रभाव होता है, जिससे परिवारों, समुदायों और समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।

सारांश: श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता है जो सामाजिक मानदंडों, संस्थागत बाधाओं और आर्थिक बाधाओं को संबोधित करे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

राज्य हरित ऋण के लिए हजारों हेक्टेयर 'अपघटित' वन भूमि की पेशकश करते हैं

पर्यावरण:

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट

प्रारंभिक परीक्षा : ग्रीन क्रेडिट

मुख्य परीक्षा : ग्रीन क्रेडिट का महत्व

प्रसंग: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य निम्नीकृत वन भूमि पर वनीकरण को प्रोत्साहित करना है। इस घोषणा के बाद, कई राज्यों ने व्यक्तियों, समूहों और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की इकाइयों के लिए उपलब्ध कराने के लिए कुल मिलाकर लगभग 3,853 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि के पासल की पहचान की है। यह पहल वनों की कटाई को संबोधित करने और स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है।

समस्याएँ:

- निम्नीकृत वन भूमि की उपलब्धता: राज्यों द्वारा निम्नीकृत वन भूमि की पहचान के बावजूद, वनीकरण के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता एक चुनौती बनी हुई है, विशेषकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में।
- प्रतिपूरक वनरोपण कानून: कंपनियाँ वनीकरण परियोजनाओं के वित्तपोषण या गैर-वन भूमि प्रदान करके गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित वन भूमि की भरपाई करने के लिए बाध्य हैं। हालाँकि, प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयुक्त भूमि सुरक्षित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिसके कारण प्रतिपूरक वनरोपण निधि में धनराशि खर्च नहीं की जा रही है।
- ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का पायलट चरण: यह योजना वर्तमान में अपने पायलट चरण में है, जिसमें भागीदारी राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाओं तक सीमित है। कार्यक्रम की सफलता के लिए विविध हितधारकों की भागीदारी का विस्तार करना और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

महत्व:

- वन पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण: निम्नीकृत वन भूमि पर वनीकरण वन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली में योगदान देता है, जिससे वनों की कटाई और निवास स्थान के नुकसान के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है।
- जलवायु परिवर्तन शमन: वनीकरण के माध्यम से वन आवरण बढ़ाने से कार्बन पृथक्करण में सहयता मिलती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बढ़ाया जाता है।
- सतत भूमि उपयोग प्रथाएँ: जीसीपी निम्नीकृत भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा देकर स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है, जिससे जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलता है और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में वृद्धि होती है।

- ग्रीन क्रेडिट उन गतिविधियों में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एक इकाई को संदर्भित करता है जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।
 - कार्बन क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समकक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार योग्य परमिट या प्रमाण पत्र हैं।

समाधान:

भूमि उपलब्धता बढ़ाना: उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करते हुए, वनीकरण परियोजनाओं के लिए उपयुक्त निम्नीकृत वन भूमि की पहचान करने और आवंटित करने के लिए सरकारी एजेंसियों और हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।

प्रतिपूरक वनीकरण तंत्र को मजबूत करना: प्रतिपूरक वनीकरण के लिए गैर-वन भूमि प्राप्त करने में चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और भूमि पूलिंग और भूमि-उपयोग योजना जैसे नवीन दृष्टिकोणों की खोज करने की आवश्यकता है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को बढ़ाना: निजी क्षेत्र की संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को शामिल करने के लिए जीसीपी के दायरे का विस्तार करने से वनीकरण प्रयासों के पैमाने और प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, जिससे स्थायी परिवृश्य प्रबंधन की सुविधा मिल सकती है।

सारांश: ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम वनों की कटाई को संबोधित करने और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने का एक आशाजनक अवसर प्रस्तुत करता है। हालांकि, देश भर में वन आवरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बढ़ाने में इसकी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए भूमि उपलब्धता, प्रतिपूरक वनीकरण तंत्र और कार्यक्रम स्केलेबिलिटी से संबोधित चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अमेरिका के 6 राज्यों में डेयरी गायों में इन्फ्लुएंजा A H5N1 पाया गया

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, रोजमरा की जिंदगी में वैज्ञानिक विकास का अनुप्रयोग

प्रारंभिक परीक्षा: **इन्फ्लुएंजा A H5N1**

मुख्य परीक्षा: इन्फ्लुएंजा A H5N1 के कारण और इसे ठीक करने के उपाय

प्रसंग: अमेरिका के कई राज्यों में डेयरी गायों में इन्फ्लुएंजा ए एच5एन1 के उद्भव ने संभावित संचरण मार्गों और सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि उद्योग पर व्यापक प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह प्रकोप पहली बार दर्शाता है कि मर्वेशियों में H5N1 का पता चला है, जो व्यापक जांच और प्रतिक्रिया रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

पता लगा और फैलना :

- मार्च 2024 के अंत में, टेक्सास, कैनसस, मिशिगन, न्यू मैक्सिको, इडाहो और ओहियो सहित अमेरिका के छह राज्यों में डेयरी गायों में H5N1 का बहुस्तरीय प्रकोप पाया गया।
- गायों में H5N1 के प्रसार की सटीक सीमा अस्पष्ट बनी हुई है, क्योंकि एवियन इन्फ्लूएंजा के लिए मर्वेशियों का नियमित परीक्षण नहीं किया जाता है और लक्षण अपेक्षाकृत हल्के होते हैं।

मानव संक्रमण:

- अप्रैल 2024 में, टेक्सास में H5N1 के एक मानव संक्रमण की सूचना मिली थी, जिसमें संक्रमित व्यक्ति संक्रमित गायों के संपर्क में था।
- सीडीसी ने आश्वस्त किया है कि मानव संक्रमण का जोखिम कम रहता है, हालांकि लंबे समय तक या संक्रमित जानवरों के निकट संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को अधिक खतरा होता है।

जीनोमिक अंतर्दृष्टि:

- जीनोमिक अनुक्रमण से पता चला कि संक्रमित गायों और मानव मामले दोनों के वायरस स्ट्रेन H5N1 के क्लैड 2.3.4.4b से संबंधित थे, जिसमें एक मामूली उत्परिवर्तन संभावित रूप से स्तनधारियों में अनुकूलन से जुड़ा हुआ था।
- इस उत्परिवर्तन के बावजूद, मनुष्यों के बीच बढ़ी हुई संक्रामकता नहीं देखी गई है, और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम बना हुआ है।

वैशिक चिंताएँ:

- विश्व स्तर पर, रूस में सील और पेरु में समुद्री स्तनधारियों सहित विभिन्न पशु प्रजातियों में H5N1 के छिटपुट मामले, स्पिलओवर घटनाओं की संभावना और वायरस के विकास और अनुकूलन पर आगे के शोध की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

महत्व:

- डेयरी गायों में H5N1 का पता लगाना सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि उद्योग के लिए संभावित जोखिमों को कम करने और आगे फैलने से रोकने के लिए रोग निगरानी और निगरानी के महत्व को रेखांकित करता है।
- प्रकोप से निपटने के लिए रोग निगरानी, जीनोमिक निगरानी और समन्वित प्रतिक्रिया प्रयासों के संयुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

समाधान:

- H5N1 के प्रसार को ट्रैक करने और संभावित संचरण मार्गों की पहचान करने के लिए उन्नत निगरानी उपायों को लागू किया जाना चाहिए।
- रोकथाम और नियंत्रण रणनीतियों को सूचित करने के लिए अनुसंधान प्रयासों को वायरस के विकास और विभिन्न प्रजातियों के अनुकूलन को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- जन जागरूकता अभियानों को व्यक्तियों, विशेष रूप से जानवरों के निकट संपर्क वाले लोगों को H5N1 के जोखिमों और निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

सारांश: अमेरिका में डेयरी गायों में इन्फ्लुएंजा A H5N1 का पता चलना ज़ूनोटिक रोगों के चल रहे खतरे और आगे प्रसार को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। प्रकोप को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और मानव एवं पशु आबादी दोनों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर सतर्कता, निगरानी तथा अनुसंधान प्रयास आवश्यक हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

क्या नए सौर ऊर्जा नियमों से उत्पादन बढ़ेगा?

अर्थव्यवस्था:

विषय: बुनियादी ढांचा - ऊर्जा

मुख्य परीक्षा : नए सौर ऊर्जा नियमों का महत्व

प्रसंग: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 1 अप्रैल से प्रभावी सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल के स्वीकृत मॉडल और निर्माता (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएँ) आदेश, 2019 पेश किए हैं। इस कार्यकारी आदेश का उद्देश्य सौर मॉड्यूल निर्माताओं के प्रमाणीकरण के लिए मानदंड स्थापित करके भारत के सौर मॉड्यूल विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है। हालाँकि, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और विशेष रूप से चीन से आयात पर निर्भरता कम करने में इसकी प्रभावशीलता के बारे में सवाल उठते हैं।

कार्यकारी आदेश का संदर्भ:

- एमएनआरई का कार्यकारी आदेश, जो पहली बार 2019 में जारी किया गया था, सौर मॉड्यूल निर्माताओं को 'अनुमोदित' निर्माताओं के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा निरीक्षण से गुजरना अनिवार्य करता है।
- यह आदेश वास्तविक निर्माताओं को आयातकों या असेंबलरों से अलग करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से चीन से आयातित सौर मॉड्यूल पर भारत की भारी निर्भरता को संबोधित करना है।

भारत के सौर उद्योग में चुनौतियाँ:

- सौर कोशिकाओं और मॉड्यूल के लिए सीमित घरेलू उत्पादन क्षमता के कारण भारत का सौर उद्योग काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है।
- सौर ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, भारत का घरेलू उद्योग सौर पैनलों और घटकों की मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

आयात निर्भरता के कारण:

- भारत की आयात पर निर्भरता, विशेष रूप से चीन से, कम लागत और तुलनीय-गुणवत्ता वाले सौर मॉड्यूल जैसे कारकों के कारण है।
- भारत और चीन के बीच राजनयिक तनाव ने आयात कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी प्रभावित किया है।

कार्यकारी आदेश का महत्व:

- कार्यकारी आदेश निर्माताओं को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम जैसी सरकारी निविदाओं और सब्सिडी योजनाओं के लिए पात्रता प्रदान करते हुए 'अनुमोदित' के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- यह उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सौर पैनलों और घटकों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना है।

भारत की विनिर्माण क्षमता:

- जबकि वैशिक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों, विशेष रूप से चीन से, के कारण भारत के सौर निर्यात में 2023-24 में वृद्धि देखी गई, इस प्रवृत्ति की स्थिरता के संबंध में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।
- सौर मॉड्यूल के लिए मांग-आपूर्ति बेमेल घरेलू विनिर्माण क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

समाधान और संभावनाएँ:

- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना: सौर सेल और मॉड्यूल के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए निवेश और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- नीति समर्थन: स्थानीय निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करें, जिससे वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित हो सके।
- अनुसंधान और विकास: स्वदेशी सौर प्रौद्योगिकियों की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास पहल में निवेश करें।

सारांश : सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल के स्वीकृत मॉडल और निर्माता आदेश, 2019 का कार्यान्वयन, भारत के सौर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम का प्रतीक है। हालाँकि, आयात निर्भरता की चुनौतियों से निपटने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार, उद्योग हितधारकों और अनुसंधान संस्थानों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

प्रीलिम्स तथ्य: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के संदर्भ में

- भारत के सभी पड़ोसी देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए तेजी से नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है।
- भारतीय कानूनों के अनुसार भारतीय नागरिकों को दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है
- सीएए नियमों के अनुसार आवेदकों को अपनी मौजूदा नागरिकता छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: **b**

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा प्रकाशित की जाती है?

- I: विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO)
 - II: वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ (GEP)
 - III: वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (GFSR)
- (a) केवल I और II
 - (b) केवल II और III
 - (c) केवल I और III
 - (d) I, II, और III

उत्तर: **C**

प्रश्न 3. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- I. योजना के तहत, परिवारों को अपनी छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- II. यह आवासीय भवनों पर छत पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए 100% की सब्सिडी प्रदान करता है।
- III. यह योजना विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही हैं?

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I
- (d) I, II, और III

उत्तर: **C**

प्रश्न 4. वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेशन (CITES) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

कथन I: CITES एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो।

कथन II: CITES एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा लागू किया जाता है।

- (a) केवल कथन। सही है।
- (b) कथन ॥ सही हैं।
- (c) कथन। और ॥ सही हैं।
- (d) कोई भी कथन नहीं

उत्तर: **c**

प्रश्न 5. भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है

1. स्थगन प्रस्ताव
2. प्रश्नकाल
3. पूरक प्रश्न

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1,2 और 3

उत्तर: **d**

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. देश के विकास में मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के महत्व और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। (10 अंक 150 शब्द) (सामान्य अध्ययन - II, सामाजिक न्याय) (Discuss the significance of robust health infrastructure in a nation's development and the challenges faced in ensuring equitable access to healthcare services. (10 Marks 150 words) (General Studies - II, Social Justice))

प्रश्न 2. भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए (10 अंक 150 शब्द) (सामान्य अध्ययन - III, अर्थव्यवस्था) (Critically evaluate the effectiveness of the Production Linked Incentive (PLI) scheme in promoting domestic manufacturing and innovation in the solar energy sector in India.(10 Marks 150 words) (General Studies - III, Economy))

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर किलक कर के आप अपने उत्तर **BYJU'S** की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)